कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/12/2023

श्री हरिओम ब्यास पुत्र श्री दामोदर लाल ब्यास, जुगलापट्टी उच्चैन जिला भरतपुर

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार रुपवास जिला भरतपुर

...रेस्पो०

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 20.3.2023

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि श्री हरिओम ब्यास पुत्र श्री दामोदर लाल ब्यास, जुगलापट्टी उच्चैन जिला भरतपुर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 02.12.22 के द्वारा तहसीलदार रुपवास से सूचना चाही गई थी। तहसीलदार रुपवास द्वारा प्रार्थी अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / कोर्ट / 214 दिनांक 1.3.2023 द्वारा तहसीलदार रुपवास से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार रुपवास का जबाब पत्र क्रमांक/ आरटीआई/2023/18 दिनांक 15.3.2023 प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी का अपील में कथन है कि प्रार्थी ने आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र के तहत चाही गई सूचाऐं तहसीलदार रुपवास के द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है, चाही गई सूचनायें निशुल्क दिलाये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार रुपवास के जबाब पत्र पत्र क्रमांक/ आरटीआई/2023/18 दिनांक 15.3.2023 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रुपवास ने अपने जबाब में बताया है कि अपीलान्ट को सूचनाओं के बाबत जरिये पत्र क्रमांक/आरटीआई/2023/56 दिनांक 2.1.23 से अवगत कराया जाचुका है। तहसीलदार रुपवास ने अवगत कराया है कि "...चाही गई सूचना लगभग 32 वर्ष पुरानी है उक्त सूचना से सम्बन्धित रिकार्ड कार्यालय में उपलब्ध नहीं है....।" ऐसी स्थिति में आपसे अपेक्षा की जाती है कि वांछित सूचना से सम्बन्धित रिकार्ड के उपलब्धता के बारे में जानकारी हो तो आप किसी भी कार्यदिवस में तहसील कार्यालय रुपवास में उपस्थित होकर चिन्हित करें ताकि आपको सूचना उपलब्ध कराई जासके। तहसीलदार रुपवास को हिदायत दी जाती है कि चिन्हित सूचना को निशुल्क अपीलार्थी को उपलब्ध करावें।

अतः उक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (तहसीलदार रुपवास) से प्राप्त पत्र की फोटो प्रति सहित) भिजवायें।

.......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपील / आरटीआई / 12 / 2023
हरिओम ब्यास बनाम तहसीलदार रुपवास

निर्णय की प्रति तहसीलदार रुपवास को सूचनार्थ प्रेषित हो। इस आदेश से सन्तुष्ट न होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,भरतपुर
भरतपुर